प्रेस विज्ञप्ति

15/05/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत पश्चिम बंगाल में 2 व्यक्तियों और 4 निजी मेडिकल कॉलेजों की लगभग 1 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए जांच के दौरान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में निजी मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न परिसरों और उनके प्रमुख व्यक्तियों, एजेंटों और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, एन. आर. आई. कोटे के तहत चिकित्सा प्रवेश के लिए यू. एस. ए. में नोटरी के नकली टिकट, नकली एन. आर. आई. प्रमाण पत्र आदि सहित कई अपराध संकेती साक्ष्य बरामद किए गए। ट्रस्टी और निजी मेडिकल कॉलेजों, एजेंटों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के प्रमुख व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

ईडी जांच से पता चला है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा के तहत प्रवेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का बड़ी संख्या में मामलों में इन निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा उल्लंघन किया गया है।नियम के अनुसार, एनआरआई प्रायोजक को पहली और दूसरी डिग्री रक्त रिश्तेदार होना चाहिए। यह पाया गया है कि इन निजी मेडिकल कॉलेजों और उनके प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों ने एजेंटों की मिलीभगत से उम्मीदवारों को लुभाया और एनआरआई कोटा के तहत प्रवेश के लिए एनआरआई के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में लिप्त रहे। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि एजेंट मेडिकल कॉलेजों के इशारे पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। ये निजी मेडिकल कॉलेज फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए एजेंटों को भुगतान कर रहे थे। मेमेडिकल कॉलेज एन. आर. आई. कोटे के तहत प्रत्येक एम. बी. बी. एस. सीट के लिए ₹1 करोड़ (लगभग) और प्रत्येक एम. डी./एम. एस. सीट के लिए ₹3 से 4 करोड़ (लगभग) का भारी शुल्क वसूले जा रहे हैं।

एजेंटों ने पैसे का भुगतान करके असंबंधित एनआरआई से संपर्क किया और उनके प्रमाण पत्र प्राप्त किए और इन प्रमाण पत्रों का उपयोग इन असंबंधित एनआरआई को छात्रों के प्रायोजक के रूप में पेश करने वाले नकली दस्तावेज तैयार करने के लिए किया। कुछ मामलों में, एजेंटों और मेडिकल कॉलेजों ने 2-3 अलग-अलग और असंबंधित उम्मीदवारों के लिए एनआरआई प्रायोजक दस्तावेजों के एक ही सेट का उपयोग किया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि स्थानीय राज्य प्राधिकरण के पत्र के जवाब में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुछ एनआरआई प्रायोजकों के मामले में जालसाजी की स्पष्ट जानकारी के बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अब तक, अपराध की आय (पीओसी) रु. 23.67 करोड़ की पहचान की गई है।

आगे की जांच चल रही है |